



भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

भारत सरकार

कार्यालय: टी-19, पहली और दूसरी मंजिल, ब्लॉक-IV, धन्वन्तरि भवन,

मार्ग नं०-66, , पंजाबी बाग(पश्चिम), नई दिल्ली & 110026

National Commission for Indian System of Medicine

Govt. of India

Office: T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantri Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

दूरभाष / Phone

सभापति / Chairman: 25221001

सचिव / Secretary: 25221006

कार्यालय / Office: 25221002/3

पंजीयन / Registration: 25221004

www.ncismindia.org

secretary@ncismindia.org

Ref. No. 20-28/2022-Regn. (Misc)

Date: 29/07/26

Circular

Subject: Circular on the Legal Status of Registered Practitioners under the NCISM Act, 2020

It has come to the notice of the National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) that duly qualified and institutionally trained practitioners holding recognized degrees such as Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (BAMS), Bachelor of Unani Medicine and Surgery (BUMS), Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (BSMS) and Bachelor of Sowa-Rigpa Medicine and Surgery (BSRMS) are being subjected to harassment, defamation and false characterization as “quacks” or “bogus doctors” through public notices, print and electronic media, social media platforms and other public forums.

The NCISM hereby clarifies that practitioners duly registered with the appropriate State Councils for Indian System of Medicine and recognized under the provisions of the Indian Medicine Central Council (IMCC) Act, 1970 and the NCISM Act, 2020 are legally recognized medical practitioners. The NCISM Act, 2020 provides a statutory framework for regulating education, ethics and professional practice in the Indian Systems of Medicine and registered practitioners are entitled to exercise the rights and responsibilities conferred upon them under applicable laws.

Accordingly, there is no legal basis for describing such registered practitioners as “quacks” or “bogus doctors.” Any individual, institution, media organization or authority publicly using such terms against duly registered practitioners may be acting contrary to the legal recognition granted under the NCISM Act, 2020 and may be infringing upon their professional and constitutional rights.

The NCISM reiterates that all duly qualified and registered practitioners of the Indian System of Medicine are legally recognized healthcare professionals and are entitled to the rights, protections and professional respect accorded to them under the law.


29.7.26

Dr. Sushrut Kanaujia

President, Board of Ethics and Registration,

National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi

अध्यक्ष, आचार एवं पंजीयन बोर्ड

President, Board of Ethics and Registration

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

National Commission for Indian System of Medicine

कार्यालय (पश्चिम), नई दिल्ली - 110026

Punjabi Bagh (West), New Delhi - 110026

Copy to: -

1. The Secretary, Govt. of India, Ministry of AYUSH, Ayush Bhawan, B Block, GPO Complex, INA, New Delhi, Delhi 110023
2. Chairperson, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi.
3. Secretary, National Commission for Indian System of Medicine, New Delhi.
4. Member, Board of Ethics and Registration, NCISM, New Delhi.
5. Directors of Ayush/Medical Education of State/UT.
6. All Registrar, State ISM Council/Board.
7. ASUS Associations.
8. Guard file.



भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग

भारत सरकार

कार्यालय: टी-19, पहली और दूसरी मंजिल, ब्लॉक-IV, धन्वन्तरि भवन,

मार्ग नं०-66, , पंजाबी बाग(पश्चिम), नई दिल्ली & 110026

National Commission for Indian System of Medicine

Govt. of India

Office: T-19, 1st & 2nd Floor, Block-IV, Dhanwantri Bhawan, Road No.-66, Punjabi Bagh (West), New Delhi-110026

दूरभाष / Phone

सभापति / Chairman: 25221001

सचिव / Secretary: 25221006

कार्यालय / Office: 25221002/3

पंजीयन / Registration: 25221004

www.ncismindia.org

secretary@ncismindia.org

संदर्भ संख्या: 20-28/2022-Regn. (Misc)

दिनांक - 29/07/26

परिपत्र

विषय: भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सकों की विधिक स्थिति के संबंध में परिपत्र।

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (BUMS), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (BSMS) तथा बैचलर ऑफ सोवा-रिग्पा मेडिसिन एंड सर्जरी (BSRMS) जैसी मान्यता प्राप्त उपाधियाँ प्राप्त, विधिवत प्रशिक्षित एवं पंजीकृत चिकित्सकों को सार्वजनिक सूचनाओं, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया मंचों तथा अन्य सार्वजनिक माध्यमों में "झोलाछाप" अथवा "फर्जी डॉक्टर" जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जा रहा है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँच रही है।

इस संबंध में आयोग स्पष्ट करता है कि भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय परिषद अधिनियम, 1970 (IMCC Act, 1970) तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 (NCISM Act, 2020) के प्रावधानों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त तथा संबंधित राज्य भारतीय चिकित्सा प्रणाली परिषदों, में विधिवत पंजीकृत चिकित्सक विधिक रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी हैं। NCISM अधिनियम, 2020 भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा, आचार-संहिता एवं व्यावसायिक अभ्यास के विनियमन हेतु वैधानिक ढाँचा प्रदान करता है तथा पंजीकृत चिकित्सक प्रचलित विधियों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों एवं दायित्वों का निर्वहन करने के अधिकारी हैं।

अतः ऐसे विधिवत पंजीकृत चिकित्सकों को "झोलाछाप" अथवा "फर्जी डॉक्टर" कहना किसी भी प्रकार से विधिसम्मत नहीं है। किसी व्यक्ति, संस्था, मीडिया संगठन अथवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे शब्दों का सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जाना NCISM अधिनियम, 2020 के अंतर्गत प्रदत्त विधिक मान्यता के विपरीत होगा तथा संबंधित चिकित्सकों के व्यावसायिक एवं संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग पुनः स्पष्ट करता है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के सभी विधिवत अर्हताप्राप्त एवं पंजीकृत चिकित्सक विधिक रूप से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य-सेवा पेशेवर हैं तथा वे कानून के अंतर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों, संरक्षणों एवं व्यावसायिक सम्मान के अधिकारी हैं।


29.7.26

(डॉ. सुश्रुत कनौजिया)

अध्यक्ष, आचार एवं पंजीयन बोर्ड

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. सचिव, भारत सरकार, आयुष मंत्रालय, आयुष भवन, बी-ब्लॉक, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, आई.एन.ए., नई दिल्ली - 110023।
2. सभापति, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली।
3. सचिव, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली।
4. सदस्य, आचार एवं पंजीकरण बोर्ड, भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली।
5. निदेशक आयुष/मेडिकल एजुकेशन, राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश।
6. सभी रजिस्ट्रार, राज्य परिषद/बोर्ड।
7. आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा एसोसिएशन।
8. गार्ड फाइल।